

जाति संशोधन हेतु आवेदन पत्र

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

2022/310 ✓

विषय:- जाति संशोधन नाम चमार के बजाय बैरवा दर्ज करवाने बाबत ।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी श्री अंकित
पिता खन्ना जाति बैरवा निवासी बोरडा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का रहने वाला
हूँ। प्रार्थी की जाति ग्राम बोरडा पटवार मण्डल बोरडा के खाता संख्या 478 में चमार
दर्ज है, जबकि मेरी वास्तविक जाति बैरवा है।
राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.05(8) राज.-प./83/राज-6/96/जयपुर दिनांक 01-11-1996 से
जाति शुद्धि करने के स्पष्ट आदेश है। अतः प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार के बजाय बैरवा दर्ज
करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी
अंकित
(.....)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड श्री अंकित पिता खन्ना की
ग्राम बोरडा प.0म0 बोरडा के खाता संख्या 478 में जाति चमार दर्ज है, जबकि आवेदक की
वास्तविक जाति बैरवा है। अतः प्रार्थी की जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश फरमाने की कृपा
करें।

उपखण्ड अधिकारी (पटवारी)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)
23-8-2022
पटवारी
प.0म0 बोरडा
92-8-2022
भू.अ.नि.0
वृत्त बोरडा

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. के प्रार्थी श्री अंकित पिता खन्ना की
ग्राम बोरडा प.0म0 बोरडा के खाता संख्या 478 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने की
सिफारिश की जाती है ।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

आदेश

24/5/22
24/6/22

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शाहपुरा की अभिषंशा के प्रार्थी
श्री अंकित पिता खन्ना की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः ग्राम बोरडा
प.0म0 बोरडा के राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 478 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश
दिया जाता है। अतः तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे।

अंकित
तहसीलदार/नायब तहसीलदार
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)